12 बारात घर व गेस्ट हाउस सील, दो अवैध निर्माण ध्वस्त

जासं, इलाहाबाद : शहर में अवैध निर्माण और भवनों के खिलाफ इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का सख्त अभियान सोमवार को भी चला। इस दौरान एडीए ने 12 अवैध गेस्ट हाउस और बारात घरों को सील कर दिया। जबकि दो अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। इसके अलावा इंदिरा भवन में भी दो तल पर हुए अवैध निर्माण हटवाने के साथ सफाई अभियान चलाया गया।

एडीए उपाध्यक्ष देवेंद्र पांडेय ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इस कड़ी में सोमवार को जोनल अफसर पुष्कर श्रीवास्तव ने नैनी क्षेत्र में अवैध गेस्ट हाउस व बारात घरों को सील किया। सील किए जाने वाले भवनों में मिसा गेस्ट हाउस, दीपक गेस्ट हाउस, कृष्णा गेस्ट हाउस, बाबा गार्डेन, गंगा गार्डेन, लक्ष्मी गार्डेन, स्वेच्छा गेस्ट हाउस, चंद्रलोक गेस्ट हाउस, संदुरम गेस्ट हाउस, राम वाटिका और कृष्णा गार्डेन शामिल हैं।

सख्ती

- अवैध निर्माण व भवनों के खिलाफ एडीए की बड़ी कार्रवाई
- इंदिरा भवन में भी अवैध निर्माण हटवाए, कराई गई सफाई

जोनल अफसर परमानंद यादव ने शांतिपुरम आवास योजना में प्राधिकरण की जमीन पर श्यामलोदत्त शुक्ला और पूजा पत्नी मिथिलेश कुमार के अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। इसके अलावा जोनल अफसर आलोक पांडेय ने इंदिरा भवन के बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल में गलियारों, सीढ़ियों, निकास द्वारों और ओपन स्पेस में अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें तोड़ी।

इसके अलावा अनाधिकृत ग्लो साइन बोर्ड, विक्रय सामग्री, काउंटर, कबाड़ और आगे बढ़ी हुई दुकानों को भी तोड़ा गया। इन कार्रवाईयों के दौरान अशोक कुमार, रविंद्र शुक्ला, अश्वनी कुमार शुक्ला, महेश चौधरी आदि शामिल थे।

11 दुकानें नीलाम

इलाहाबाद : एडीए ने चौक स्थित अपने व्यवसायिक केंद्र में तीसरे तल की 11 दुकानों को सोमवार को नीलाम किया। एडीए अपर सचिव गुडाकेश शर्मा ने बताया कि इन दुकानों की नीलामी से 61.40 लाख रुपये प्राधिकरण को प्राप्त हुए।

दैनिक जागरण 20/9/016

दस वर्षों में हुए सीवर कार्य का ब्यौरा तलब

शहर के यातायात में सुधार न होने से हाईकोर्ट नाराज

अमर उजाला ब्यूरो

इलाहाबाद।

शहर में यातायात, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के कार्यों की मॉनटरिंग कर रही हाईकोर्ट की पीठ ने जल निगम और जल संस्थान से पिछले दस वर्षों के दौरान जेएनयूआरएम के तहत कराए गए सीवर कार्यों का ब्यौरा तलब किया है। पीठ ने अवैध पार्किंग हटाने और बिना पार्किंग वाले प्रतिष्ठानों को सील करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने तमाम निर्देशों के बावजूद यातायात व्यवस्था में सुधार न हो पाने पर भी गहरी नाराजगी जताई है। शहर की टूटी सड़कों की मरम्मत न हो पाने पर कोर्ट ने निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। पीठ ने प्रदेश सरकार को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक माह में नियमावली बनाने का भी निर्देश दिया है।

अशोक कुमार और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके

कड़े निर्देशों के बावजूद अवैध पार्किंग और यातायात जाम पर लगाम नहीं लग सकी है। एडीए, नगर निगम और यातायात पुलिस अधीक्षक को टीम बनाकर अभियान चलाने निर्देश दिया है। नोटिस देने के बाद भी जिन भवनों में अवैध पार्किंग हो रही है उनको सील कर दिया जाए। कोर्ट ने नगर निगम को अतिक्रमण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यातायात व्यवस्था पर महानिदेशक यातायात से अगली सुनवाई पर हलफनामे के माध्यम से जानकारी देने को कहा है।

शहर के विकास की दीर्घ कालिक योजना तैयार करने का डीएम, एडीए, नगर निगम और एसएसपी को निर्देश दिया है। योजना का खाका कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि शहर में

बिना पार्किंग वाले प्रतिष्ठान सीज करने का आदेश

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनाने का भी निर्देश दिया

यातायात, पार्किंग और व्यवसायिक केंद्रों के सुंदरीकरण की योजना बनाने के लिए अध्ययन किया जाए। योजनाबद्ध तरीके से इसे अमल में लाया जाए और कार्यों के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए।

कोर्ट ने जल संस्थान और जल निगम से पूछा है कि पिछले दस वर्षों के दौरान कहां-कहां और किन योजनाओं के तहत सीवर लाइन बिछाने का काम हुआ है। एडीए द्वारा बिना योजना के मनमाने निर्माण पर अदालत ने नाराजगी जताई है। मास्टर प्लान, जोनल प्लान और बिल्डिंग बाईलॉज का पालन करने का निर्देश दिया है। नक्शा स्वीकृत करने की गाइड लाइन भी तैयार करने का आदेश दिया है।

अमर उजाला 20/9/016

एडीए ने सील किए अवैध 12 बारातघर

इलाहाबाद। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। नैनी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे 12 बारातघरों को सील कर दिया गया। फाफामऊ में दो अवैध निर्माण गिराए गए।

एडीए की कार्रवाई सोमावर को शहर के तमाम इलाकों में हुई। नैनी में जोन चार नैनी में 12 अवैध बारात घरों को सील किया गया। जोनल अधिकारी पुष्कर श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्रवाई हुई, फाफामऊ की कार्रवाई जोनल अधिकारी परमानंद यादव के नेतृत्व में हुई। इंदिर भवन में अतिक्रमण आलोक पांडेय के नेतृत्व में हटाया गया।

नीलामी से आए 61 लाख 40 हजारः एडीए की घंटाघर परिसर स्थित 11 दुकानों की नीलामी सोमवार को हुई। इससे 61 लाख 40 हजार रुपए की आय प्राप्त हुई।

हिन्दुस्तान 20/9/016